कार्यालय
वनमण्डलाधिकारी उत्तर (सामान्य) वनमण्डल, बालाघाट म.प्र.
e-mail : dfotnbghat@mp.gov.in
Telephone No. : (07632) 247044

## – प्रमाण पत्र –

प्रमाणित किया जाता है कि प्रकरण में प्रस्तावित भैंसवाही से जल्दीडांड मार्ग का मेरे द्वारा मौका निरीक्षण किया गया, स्थल निरीक्षण उपरांत पाया गया कि प्रस्तावित भैंसवाही से जल्दीडांड मार्ग वास्तव में भैंसवाही से जल्दीडांड–मोहगांव रैयत तक प्रस्तावित है जिसमें वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर अंतर्गत आरक्षित वनकक्ष क्रमांक 1558, 1501, 1505, 1506, 1492, 1493, 1491 तक वनक्षेत्र में कुल लंबाई 11800 मीटर, रकबा 9.912 हेक्टेयर वनभूमि प्रभावित होती है, जिसमें पॉलीगॉनवार रकबा निम्नानुसार है '–

| पॉलीगॉन क्रमांक | वनकक्ष क्रमांक | रकबा (हे.में.) |
|---|---|---|
| 1. | 1558 | 0.51 |
| 2. | 1501, 1506 | 4.82 |
| 3. | 1491, 1492, 1493 | 3.69 |
| 4. | 1505 | 0.89 |
| | **Total** | **9.91** |

भैंसवाही से जल्दीडांड–मोहगांव रैयत तक मार्ग में प्रभावित वनभूमि के अतिरिक्त मार्ग की राजस्व भूमि, छोटे बड़े झाड़ का जंगल मद की राजस्व वनभूमि नहीं है, जिसे पोर्टल पर KML File में वन एवं राजस्व क्षेत्र को अलग–अलग रंगो से रेखांकित किया गया है। प्रस्तावित मार्ग में वन क्षेत्र को हरे रंग से एवं राजस्व क्षेत्र को पीले रंग से दर्शाया गया है।

प्रतिवेदन में उल्लेखित अनुसार मार्ग की वास्तविक स्थिति मौका स्थल के आधार पर दर्शाई गई है, जो सत्य है।

दिनांक – 31.01.2024

(अभिनव पल्लव)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
उत्तर (सा.) वनमण्डल बालाघाट

वनमण्डलाधिकारी
उत्तर सामान्य वनमण्डल
बालाघाट

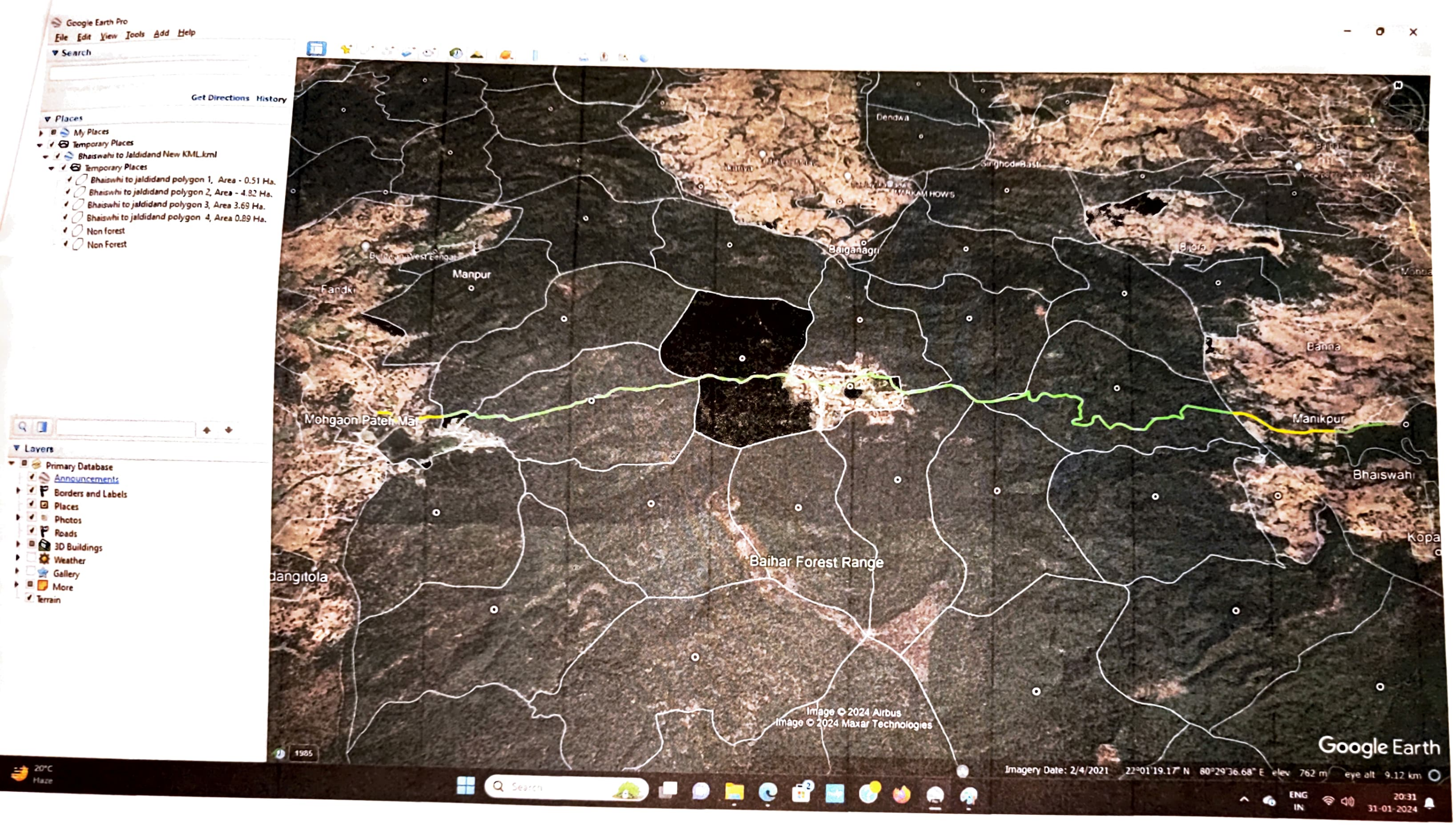


वनमण्डलाधिकारी
उत्तर बालाघाट वनमण्डल
बालाघाट

# कार्यालय मुख्य वन संरक्षक
वनवृत्त, बालाघाट, मध्यप्रदेश — 481001

Email- ccf.bgt@mp.gov.in, दूरभाष : 07632–241201 फैक्स : 07632–240268


क्रमांक/तक. कक्ष/133 बालाघाट, दिनांक : 30/01/2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(कक्ष भू–प्रबंध)
म.प्र., भोपाल

विषय :— बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंतर्गत भैंसवाही से जल्दीडांड तक सड़क निर्माण कार्य किये जाने हेतु 9.912 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 9.954 हे.) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, बालाघाट को उपयोग पर देने बाबत्। (प्रकरण क्रमांक/FP/MP/ROAD/155407/2022)

संदर्भ :— आपका पत्र पृष्ठांकन क्रमांक/एफ–5/1192/2022/10–11/282 दिनांक 15.01.2024.

—0—

निवेदन है कि उपर्युक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में भारत सरकार के पत्र क्र. 6–एमपीआर 030/2023–बीएचओ दिनांक 27.12.2023 में उल्लेखित बिन्दु क्रमांक–02 तथा FRCM मीटिंग दिनांक 12 जनवरी 2024 में प्रदत्त निर्देशानुसार स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न सादर संप्रेषित है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

30/01/2024

( ए.पी.एस. सेंगर )
भा.व.से.
वन संरक्षक
वनवृत्त बालाघाट म.प्र.

## स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (RCPLWE) के अंतर्गत भैंसवाही से जल्दीडांड तक (प्रकरण क्रमांक/FP/MP/ROAD/155407/2022) सड़क निर्माण कार्य उत्तर सामान्य वनमंडल बालाघाट के अधीनस्थ वनपरिक्षेत्र पश्चिम बैहर अंतर्गत संरक्षित वनकक्ष क्रमांक 1558, 1501, 1505, 1506,1492, 1493, 1491 में प्रभावित 9.912 हेक्टेयर वनभूमि के प्रकरण में मेरे द्वारा दिनांक 27.01.2024 को स्थल निरीक्षण किया गया है। स्थल निरीक्षण उपरांत पाया गया कि प्रस्तावित भैंसवाही–जल्दीडांड मार्ग वास्तव में भैंसवाही से जल्दीडांड–मोहगांव रैयत तक प्रस्तावित है जिसमें करीब 11.80 किमी. में वनभूमि प्रभावित होगी किन्तु प्रस्ताव में भैंसवाही से जल्दीडांड तक 11.80 कि.मी. में वनभूमि प्रभावित का प्रकरण है जो कि जल्दीडांड से आगे मोहगांव रैयत के पहले 11.80 कि.मी. तक की वनभूमि को प्रभावित करता है जबकि जल्दीडांड तक लगभग 8.00 कि.मी. दूरी में वनभूमि प्रभावित होती है।

जहाँ तक प्रस्तावित मार्ग की उपयुक्तता का संबंध है तो प्रस्तावित सड़क मार्ग का निर्माण नक्सल उन्मुलन की दृष्टि से उपयोगी है। उक्त मार्ग का उपयोग नक्सल गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा पुलिस विभाग द्वारा सतत् सर्चिंग के लिये किया जाना है। उक्त मार्ग के निर्माण से आदिवासी क्षेत्रो में आवागमन भी सुगम होगा एवं साथ ही प्रतिवर्ष विदोहित की जाने वाली वनोपज की निकासी तथा वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को गस्ती करने में सुगमता होगी। प्रस्तावित सड़क मार्ग के निर्माण से जनहित एवं ग्रामीणों को आवागमन सुविधा, नक्सली नियंत्रण व उन्मूलन एवं क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की दृष्टि से उपयुक्त है।

हालांकि वर्तमान में जल्दीडांड के निवासी मोहगांव रैयत से पक्के सड़क मार्ग से होकर तहसील बैहर क्रमशः उकवा एवं बघोली होकर आवागमन करते है जिसमें उनको क्रमशः 35 कि.मी. एवं 39 कि.मी. दूरी तहसील बैहर तक तय करनी पड़ती है। प्रस्तावित मार्ग बनने से 18 कि.मी. की दूरी तहसील बैहर की होगी जिससे क्रमशः 17 कि.मी. व 21 कि.मी. दूरी कम हो जावेगी जिसका फायदा जल्दीडांड ग्राम के निवासीयों को चिकित्सा/शिक्षा/बाजार हेतु होगा तथा उनके समय एवं खर्च में भी कमी होगी। ऐसी स्थिति में उक्त नक्सल गतिविधियां नियंत्रण आदि में सुगम आवागमन एवं वन कर्मचारियों/अधिकारियों के वनभ्रमण में सुगमता के लिए उपयुक्तता के साथ–साथ उक्त ग्रामीणों को तहसील मुख्यालय बैहर में आवागमन में बहुत सहुलियत होगी इस लिये प्रस्तावित मार्ग का निर्माण किया जाना उपरोक्त सभी दृष्टि से उपयुक्त है।

30/01/2024

( ए.पी.एस. सेंगर )
भा.व.से.
वन संरक्षक
वनवृत्त बालाघाट म.प्र.